निगरानी/2017

(1)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक

जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–3–2015	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–2–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि अनावेदकगण द्वारा मूल रूप से कलेक्टर के समक्ष नक्शा दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और कलेक्टर द्वारा प्रकरण जॉच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया है । अतः प्रकरण में प्रतिवेदन अंकित किया जाकर कलेक्टर को प्रेषित किया जावेगा, प्रकरण का अन्तिम रूप से निराकरण कलेक्टर द्वारा ही किया जाना है, और जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करने में उचित कार्यवाही की गई है । इस सम्बन्ध में आवेदिका के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि नक्शा दुरूस्ती के अधिकार तहसीलदार को नहीं है, और तहसीलदार नक्शा दुरूस्ती के सम्बन्ध में आदेश पारित कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में नक्शा दुरूस्ती के सम्बन्ध में आदेश पारित नहीं किया जाकर जांच कर प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया जावेगा । दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	